206/2012

8/22 दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी अधिवक्ता जवाब पेश करने हेतु एक ओर अवसर चाह रहे है,जो कि पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। लिहाजा विप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है,उभयपक्ष अधिवक्तोओं की बहस सुनी गई,बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया कि वादीनी की ओर से मूलवाद में ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 937/295 व खसरा संख्या 936/295 एवं 935/295 भूमि के संबध में प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के विरुद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की मुख्य इस्तदुआ चाही गई है,जो मूलवाद में साक्ष्य व सबूतों के आधार पर तय होगा कि वादीनी वादग्रस्त भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें की हकदार है अथवा नहीं। लेकिन अदालत के समक्ष ऐसा कोई सारभूत तथ्य सामने नहीं आया कि विवादित भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया जाना अति आवश्यक हों। ऐसी सूरत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं बनता है। जहां तक अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न है,यह बिन्दु भी प्रार्थीनी के विरूद्व जाता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन पत्र खारिज योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(S.D.O.) बालोतरा
29/8/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 17:39:14 IST
Reason: SelfAttested